ग्राम पंचायत लाहला, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लाहला, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अरुणा देवी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सीमा देवी	01/04/2022 से 29/09/2022
2.	श्री संजीव कुमार	07/10/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वेद धीमान	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री प्रवीण कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत लाहला के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	**0.86**
2.	4.3	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में परस्पर बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	**1.55**
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**21.53**
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.57**
5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि एवं लाखों के अनियमित भुगतान होना	**0.06**
6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए	**1.69**

		बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	
7.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	**1.58**
8.	8.4	अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**1.32**
9.	8.5	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई राशि से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**19.56**
10.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों को, मस्ट्रोल निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना	**1.67**
11.	10.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	**0.03**
12.	10.4	न्यूनतम निविदा दर (L1) की बजाय अधिक दर पर अन्य आपूर्तिकर्ता (L2) को सामग्री क्रय हेतु अनियमित / अतिरिक्त भुगतान की अंकेक्षण के दौरान वसूली करना	**0.08**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लाहला का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 के लिये किया गया था, जिसके के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णीत। (रोकड़ बही एवं बैंक से भुगतान की पुष्टि उपरांत)
2	4	निर्णीत (वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	5	अनिर्णित
4	6	अनिर्णित
5	7	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क की वसूली एवं बैंक में जमा की पुष्टि उपरांत)
6	8	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
7	9	अनिर्णित
8	10	अनिर्णित
9	11	अनिर्णित
10	12	अनिर्णित
11	13	अनिर्णित
12	14	अनिर्णित
13	15	अनिर्णित
14	16	अनिर्णित
15	17	अनिर्णित
16	18	अनिर्णित
17	19	अनिर्णित

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत लाहला, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.07.2024 से 25.07.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	09/2022
2023-24	03/2024	02/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 07/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 19/2024 दिनांक 18.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	259360.00	163026.00	422386.00	280902.00	141484.00
2023-24	141484.00	583847.00	725331.00	431528.00	293803.00

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1535305.25	4702216.18	6237521.43	4017329.68	2220191.75
2023-24	2220191.75	2289833.88	4510025.63	2356581.88	2153443.75

कुल योग (1+2) = 293803.00 + 2153443.75 = **2447246.75**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष **₹24,47,246.75** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹25,32,773.75 (परिशिष्ट - " ग ")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB नगरी	20081005346	295136.00
2	SDP, VKVNY & MMGPY	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102759	294112.20
3	SDRF	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102740	325262.00
4	SDRF & SBM	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100101149	0.00
5	ZP	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102777	57894.55
6	PS	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102768	19372.00
7	IWDP (अंशदान)	KCCB नगरी	20081005663	18127.00
8	14वां वित्तायोग / 14FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101001750	315.00
9	15वां वित्तायोग / 15FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002766	1522555.00
10	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			2532773.75
	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही तथा बैंक शेषों में परस्पर अन्तर			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष			**₹25,32,773.75**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष			**₹24,47,246.75**
	अंतर			**₹85,527.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.86 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:-

ANNUAL REPORT

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹85,527.00** की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित

आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था, बल्कि स्व-स्त्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता एवं एक से अधिक बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB नगरी	20081005346
2	SDP, VKVNY & MMGPY	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102759
3	SDRF	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102740
4	SDRF & SBM	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100101149

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, SDP, VKVNY, MMGPY, SDRF और SBM अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पूर्ण पुष्टि नहीं की जा सकी। जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा उत्तर

दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा और स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, SDP, VKVNY, MMGPY, SDRF और SBM अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में परस्पर ₹1.55 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

ANNUAL REPORT

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online) दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहें थे, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप परस्पर **₹1,55,309.63** का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि को उचित स्रोत से वसूल कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के वित्तीय वर्ष 2023-24 की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹21.53 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 19/2024 दिनांक 18.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 21,53,443.75** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.57 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/लाहला दिनांक 20.07.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 14 दिनांक 24.07.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹56,680.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	₹ 44,530.00	524	₹ 50.00	₹ 26,200.00	₹ 70,730.00	₹ 20,700.00	₹ 50,030.00
2023-24	₹ 50,030.00	535	₹ 50.00	₹ 26,750.00	₹ 76,780.00	₹ 20,100.00	₹ 56,680.00

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने बकाया राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है । यदि पंचायत का बकाया राजस्व इसी गति से बढ़ता रहा तो एक समय पर इसे वसूल पाना असम्भव हो सकता है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की

शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.06 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि एवं अंकेक्षणावधि में लाखों के अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज-विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-Genral/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (contractors/vendors) से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकता है तथा उन्हें वैध ट्रांसिट पास फॉर्म "W" या "x" जमा करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 02/2024 के व्यय बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान **परिशिष्ट - " च"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹5,514.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है

ANNUAL REPORT

एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के द्दष्टिगत अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹5,514.00** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों एवं समय-समय जारी आदेशों, निर्देशों के उल्लंघन के दृष्टिगत संतोषजनक नहीं है।

अतः राशि **₹ 5,514.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अथवा अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹ 1.69 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकताएँ प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹1,69,229.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा व नियम अनुसार ही विज्ञापन दिया जाएगा तथा कुछ कार्यों में आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्यों रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षणावधि में किये समस्त अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹1.58 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹1,58,150.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस त्रुटि के फलस्वरूप किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा

सकता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्यों रहित न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत :क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 अग्रिम राशि ₹1.32 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यय चयनित माह 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) धीरा को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹1,32,135.00** का अग्रिम भुगतान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 द्वारा बताया

गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को नियमानुसार संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति (कारपोरेशन) धीरा को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

8.5 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई राशि ₹19.56 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है और नियम **79** (2) के अनुसार पंचायत सचिव को अंकेक्षण के दौरान पंचायत के समस्त अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय राशि **₹19,55,585.00** के विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र **और** अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में दिया गया है। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/मजदूरी के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी

स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र विकास खंड कार्यालय में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत जमा करवा दिये जाते है व उक्त सभी अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अत: उक्त मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.6 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के व्यय चयनित माह 09/2022 व 02/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र॰स॰	**वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि**
1.	2022-23	09/2022	**6,73,749.00**
2.	2023-24	02/2024	**4,75,562.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने हेतु प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

9.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹1.67 लाख के मस्ट्रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्ट्रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्ट्रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹1,66,952.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ट "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में मनरेगा के मस्ट्रोल के संदर्भ में प्रावधित नियमों को अवहेलना हुई है व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए अनियमित भुगतान को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा नियम प्रावधानों के प्रतिकूल किये गये समस्त भुगतानों को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा प्रश्नात्मक राशि की उचित स्रोत से

वसूली कर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में स सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था उदाहरणार्थ ऊपर वर्णित **पैरा संख्या 8.5 व 9.1**, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

ANNUAL REPORT

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹ 3,025.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 न्यूनतम निविदा दर (L1) की बजाय अधिक दर पर अन्य आपूर्तिकर्ता (L2) को सामग्री क्रय हेतु राशि ₹ 0.08 का अनियमित / अतिरिक्त भुगतान की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलोक टाइल के क्रय हेतु न्यूनतम निविदा दर L1 (Dogra Brothers) की बजाय अधिक दर पर अन्य आपूर्तिकर्ता L2

(M.R. Enterprises) से क्रय करने के कारण राशि ₹7595.00 का अनियमित / अतिरिक्त भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	मद का नाम	न्यूनतम निविदा दर L1 (Dogra Brothers)	भुगतान की गई दर L2 (M.R. Enterprises)	वा० सं० / दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मात्रा	अधिक भुगतान की गई दर	अधिक भुगतान की गई राशी
1	Interlock Tiles 60mm	₹ 15.90	₹ 19.00	62/ 23.09.2022	391/ 02.05.2022	1500	₹ 3.10	₹ 4,650.00
2	Interlock Tiles 60mm	₹ 15.90	₹ 19.00	66/ 23.09.2022	393/ 12.08.2022	950	₹ 3.10	₹ 2,945.00
							कुल योग	**₹ 7,595.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि **₹7,595.00** की वसूली प्रधान श्रीमती अरुणा देवी से बावत रसीद संख्या 211390 दिनांक 25.07.2024 द्वारा कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20081005346 में जमा करवा दिया गया है और भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीद एवं बैंक पास बुक की पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) एवं दुर्विनियोजन की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
2.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
4.	लेखा खाता बही	29 (1 से 3)	07
5.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
6.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
7.	बजट प्राक्कलन	37	11
8.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21
9.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
10.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	--------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/लाहला दिनांक 20.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 24.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहला दिनांक 25.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 25.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति०

16 OCT 2024

4670-4674

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)324/2021–खण्ड–1 दिनॉंक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. सचिव, ग्राम पंचायत लाहला, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति०

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP LAHLA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	259360.00	163026.00	422386.00	280902.00	141484.00
2023-24	141484.00	583847.00	725331.00	431528.00	293803.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1535305.25	4702216.18	6237521.43	4017329.68	2220191.75
2023-24	2220191.75	2289833.88	4510025.63	2356581.88	2153443.75

Secretary
Gram Panchayat... Lahla
Block... Bhawarna

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4 (क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP LAHLA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SDP, VKVNY & MMGPY	2022-23	202781.20	1101434.00	1304215.20	889981.00	414234.20
		2023-24	414234.20	451800.00	866034.20	579122.00	286912.20
2	SDRF & SBM	2022-23	154171.50	556547.00	710718.50	334215.50	376503.00
		2023-24	376503.00	271401.00	647904.00	319832.00	328072.00
3	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	127620.00	127620.00	127620.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ZP	2022-23	62879.55	18500.00	81379.55	26690.00	54689.55
		2023-24	54689.55	3205.00	57894.55	0.00	57894.55
5	PS	2022-23	18332.00	0.00	18332.00	0.00	18332.00
		2023-24	18332.00	1040.00	19372.00	0.00	19372.00
6	IWDP (अंशदान)	2022-23	17010.00	0.00	17010.00	0.00	17010.00
		2023-24	17010.00	0.00	17010.00	0.00	17010.00
7	14 TH FC	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00
8	15TH FC	2022-23	1080131.00	1136856.00	2216987.00	877564.00	1339423.00
		2023-24	1339423.00	320757.00	1660180.00	216312.00	1443868.00
9	MGNREGA	2022-23	0.00	1761259.18	1761259.18	1761259.18	0.00
		2023-24	0.00	1241315.88	1241315.88	1241315.88	0.00

Total Checked
J.A.

Sanjeev Kumar
Secretary
Gram Panchayat Lahla
Block Bhawarna

(परिशिष्ट "ग" "पैरा संख्या "4(ख)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत लाहला, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176059

ग्राम पंचायत लाहला के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB नगरी	20081005346	295136.00	295136.00	293803.00
2	SDP, VKVNY & MMGPY	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102759	294112.20	294112.20	286912.20
3	SDRF	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102740	325262.00	325262.00	328072.00
4	SDRF & SBM	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100101149	0.00		
5	PS	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102768	19372.00	19372.00	19372.00
6	ZP	हि०ग्र०बैंक चचियाँ	87710100102777	57894.55	57894.55	57894.55
7	IWDP (अंशदान)	KCCB नगरी	20081005663	18127.00	18127.00	17010.00
8	14वां वित्तायोग / 14FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101001750	315.00	315.00	315.00
9	15वां वित्तायोग / 15FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002766	1522555.00	1522555.00	1443868.00
			जोड़ (क)	2532773.75	2532773.75	2447246.75
			हस्तगत शेष (ख)	0.00	0.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	2532773.75	2532773.75	2447246.75

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	2532773.75
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	2447246.75
अंतर :-	85527.00

Total Checked
J.A.

Secretary
Gram Panchayat Lahla
Block Bhawarna

(परिशिष्ट " च " , पैरा संख्या " 4.3 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत लाहला द्वारा ई-ग्राम स्वराज में रोकड़ बही का अनियमित अद्यतन के कारण ई-ग्राम स्वराज में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹1.55 लाख का अंतर

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA & SBM PFMS)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि
1	2022-23	2053871.00	2976363.00	922492.00	1834021.50	2409352.50	575331.00
2	2023-24	731685.00	1632365.00	900680.00	683593.00	1546794.00	863201.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA & SBM PFMS)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	2300184.12 + 77280 (हस्तगत नगद) = 2377464.12	2532773.75 + 0.00 (हस्तगत नगद) = 2532773.75	₹ 1,55,309.63

Total checked
J.A.

Secretary
Gram Panchayat Lahla
Block Bhawani

(परिशिष्ट " ङ " पैरा संख्या " 7 " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत लाहला, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176059

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 524 तथा 2023-24 में 535 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 44,530.00	524	₹ 50.00	₹ 26,200.00	₹ 70,730.00	₹ 20,700.00	₹ 50,030.00
2023-24	₹ 50,030.00	535	₹ 50.00	₹ 26,750.00	₹ 76,780.00	₹ 20,100.00	₹ 56,680.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹56,680/-** है।						

J.A.

Sanjeev Kumar
Secretary
Gram Panchayat Lahla
Block Bhawarna

32

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8-1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत लाहला द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.06 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

	SDP									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	ओंकार कपूर	53/05.09.2023	85/20.08.2022	Sand	200	5.66	1.62	9.16	80	732.80
2	ओंकार कपूर	54/05.09.2023	86/20.08.2022	Sand	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
3				Aggrigate	100	2.83	1.52	4.30	80	344.00
4	ओंकार कपूर	58/23.09.2023	112/06.06.2022	Sand	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
5				Aggrigate	150	4.24	1.52	6.44	80	515.20
6	ओंकार कपूर	60/23.09.2023	111/16.05.2022	Aggrigate	450	12.74	1.52	19.36	80	1548.80
7	ओंकार कपूर	65/23.09.2023	113/01.08.2022	Sand	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
8				Aggrigate	50	1.41	1.52	2.14	80	171.20
									Total	4411.20
									Panelity @ 25 %	1102.80
									कुल राशी	5514.00

J.A.

GRS
Praveen Kumar
G.P. Lahla.

Technical Assistant
Gram Pancayat ...Lahla...
Dev. Block BHAWARNA

Sanjeev Kumar
Secretary
Gram Panchayat...Lahla
Block Bhawarna

परिशिष्ट " ट2 ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लाहला द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹1.69 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

अनुदान शीर्ष : मनरेगा								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि GST सहित	टिप्पणी
1	विजय कुमार	Nil/ 29.02.2024	1391/21.06.2023 से 1396/21.06.2023	मनरेगा बोर्ड पेंटिंग व लिखाई सहित	6	2850	17100.00	एक निविदा प्रस्तुत की गई
2	विजय कुमार	Nil/ 29.02.2024	1482/23.12.2023 से 1485/23.12.2023	मनरेगा बोर्ड पेंटिंग व लिखाई सहित	4	2850	11400.00	
3	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	5/ 25.07.2023	Lemon	30	150	4500.00	स्थानिय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया
4				Galgal	20	150	3000.00	
5				Mosambi	15	150	2250.00	
6				Mango	5	150	750.00	
7				Orange	5	150	750.00	
8				Ambla	15	150	2250.00	
9	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	6/ 25.07.2023	Angoor	5	100	500.00	
10	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	7/ 25.07.2023	Lasuda	5	250	1250.00	
11				Kthal	10	250	2500.00	
12	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	8/ 25.07.2023	Litchi	5	200	1000.00	
13	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	9/ 25.07.2023	Lemon	15	150	2250.00	
14				Galgal	5	150	750.00	
15				Mango	10	150	1500.00	
16				Orange	10	150	1500.00	
17				Ambla	5	150	750.00	
18	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	10/ 25.07.2023	Lasuda	1	250	250.00	
19				Kthal	4	250	1000.00	
20	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	11/ 25.07.2023	Litchi	10	2000	20000.00	
21	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	29/ 29.09.2023	Lemon	16	150	2400.00	
22				Ambla	2	150	300.00	
23				Kinoo	2	150	300.00	
24				Orange	2	150	300.00	
25				Galgal	2	150	300.00	
26				Malta	2	150	300.00	
27				Mosambi	2	150	300.00	
28				Mango	11	150	1650.00	
29				Guava	22	150	3300.00	
30	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	30/ 29.09.2023	Litchi	21	200	4200.00	
31	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	31/ 29.09.2023	Kiwi	22	275	6050.00	
32				Anna	2	275	550.00	
33				Dorsett Golden	2	275	550.00	
34	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	32/ 29.09.2023	Billpatri	2	100	200.00	
35				Shami	2	100	200.00	
36	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	44/ 23.12.2023	Anna	10	275	2750.00	
37				Dorsett Golden	10	275	2750.00	
38				Persimon	5	275	1375.00	
39				Kiwi	10	275	2750.00	
40	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	45/ 23.12.2023	Cherry	10	250	2500.00	
41				Almond	10	250	2500.00	
42				Apricot	4	250	1000.00	
43				Kathal	2	250	500.00	
44	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	46/ 23.12.2023	Peach SEP	2	150	300.00	
45				Pear Babugosha	5	150	750.00	
46				Plum Santa Roza	3	150	450.00	
47				Mango Deshari	3	150	450.00	
48				Mango Amarpali	2	150	300.00	
49				Lemon	5	150	750.00	
50				Orange	5	150	750.00	
51				Malta	5	150	750.00	
52	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	47/ 23.12.2023	Walnut	5	500	2500.00	
53	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	48/ 23.12.2023	Bilpatri	4	100	400.00	
54	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	49/ 23.12.2023	Anna	15	275	4125.00	
55				Dorsett Golden	5	275	1375.00	
56				Persimon	8	275	2200.00	
57				Kiwi	5	275	1375.00	

58	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	50/ 23.12.2023	Lemon	11	150	1650.00	
59				Orange	8	150	1200.00	
60				Galgal	6	150	900.00	
61				Mosambi	6	150	900.00	
62				Babugosha	7	150	1050.00	
63				Peach SEP	3	150	450.00	
64				Malta	4	150	600.00	
65				Mango Deshari	3	150	450.00	
66				Mango Amparpalli	4	150	600.00	
67	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	51/ 23.12.2023	Cherry	3	250	750.00	
68				Kathal	1	250	250.00	
69				Plum BA	3	250	750.00	
70				Almond	4	250	1000.00	
71				Apricot	2	250	500.00	
72	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	52/ 23.12.2023	Walnut	2	500	1000.00	
73	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	53/ 23.12.2023	Litchi	8	200	1600.00	
74	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	60/ 24.01.2024	Lemon Kumkat	29	150	4350.00	
75				Lemon Thai	25	150	3750.00	
76				Galgal	20	150	3000.00	
77				Kinoo	15	150	2250.00	
78				Peach Shane-E-Pun	2	150	300.00	
79				Peach July Alberta	2	150	300.00	
80				Plum Santa Rosa	2	150	300.00	
81				Pear Babugosha	2	150	300.00	
82	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	10/12.08.2022	OPORDZ	6	200	1200.00	
अनुदान शीर्ष : सभा निधि								
83	S.K. Printer Solution	54(2)/ 05.09.2022	2642/05.08.2022	Refilling of laser toner Cartridge with replacement of Drum/ Blade for HP-1005 Printer	1	3900	3900.00	निविदा प्रस्तुत नहीं की गई
अनुदान शीर्ष : SDP								
84	विजय कुमार	57 / 23.09.2022	1110/23.09.2022	बोर्ड लिखाई व पेंटिंग	1	700	700.00	एक निविदा प्रस्तुत की गई
85	विजय कुमार	61 / 23.09.2022	1115/23.09.2022	बोर्ड लिखाई व पेंटिंग	1	700	700.00	
अनुदान शीर्ष : VKVNY								
86	विजय कुमार	61 / 23.09.2022	1115/23.09.2022	बोर्ड लिखाई व पेंटिंग	1	700	700.00	एक निविदा प्रस्तुत की गई
87	सुभाष चंद एण्ड संस	70/23.09.2022	760/ 12.08.2022	Brown Paint	0.5	360	180.00	निविदा प्रस्तुत नहीं की गई
88				Stnr	2	120	240.00	
89				Emulsion	4	245	980.00	
90				Paint	0.5	360	180.00	
91				Kalam	1	19	19.00	
92	सुभाष चंद एण्ड संस	70/23.09.2022	759/10.08.2022	Redoxide	4	195	780.00	
93				T.T.Oil	5	120	600.00	
94				P.O. Red	3	300	900.00	
95				Reg	1	40	40.00	
96				Brush 3"	1	100	100.00	
97				T.C.P.	1	80	80.00	
98				Emulsion	4	245	980.00	
					कुल जोड़		169229.00	

J.A.

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8-3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लाहला द्वारा राशि ₹1.58 लाख की क्रय की गई सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

अनुदान शीर्ष : मनरेगा							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि GST सहित
1	विजय आर्ट्स	Nil/ 29.02.2024	1391/21.06.2023 से 1396/21.06.2023	मनरेगा बोर्ड पेंटिंग व लिखाई सहित	6	2850	17100.00
2	विजय आर्ट्स	Nil/ 29.02.2024	1482/23.12.2023 से 1485/23.12.2023	मनरेगा बोर्ड पेंटिंग व लिखाई सहित	4	2850	11400.00
3	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	5/ 25.07.2023	Lemon	30	150	4500.00
4				Galgal	20	150	3000.00
5				Mosambi	15	150	2250.00
6				Mango	5	150	750.00
7				Orange	5	150	750.00
8				Ambla	15	150	2250.00
9	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	6/ 25.07.2023	Angoor	5	100	500.00
10	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	7/ 25.07.2023	Lasuda	5	250	1250.00
11				Kthal	10	250	2500.00
12	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	8/ 25.07.2023	Litchi	5	200	1000.00
13	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	9/ 25.07.2023	Lemon	15	150	2250.00
14				Galgal	5	150	750.00
15				Mango	10	150	1500.00
16				Orange	10	150	1500.00
17				Ambla	5	150	750.00
18	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	10/ 25.07.2023	Lasuda	1	250	250.00
19				Kthal	4	250	1000.00
20	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	11/ 25.07.2023	Litchi	10	2000	20000.00
21	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	29/ 29.09.2023	Lemon	16	150	2400.00
22				Ambla	2	150	300.00
23				Kinoo	2	150	300.00
24				Orange	2	150	300.00
25				Galgal	2	150	300.00
26				Malta	2	150	300.00
27				Mosambi	2	150	300.00
28				Mango	11	150	1650.00
29				Guava	22	150	3300.00
30	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	30/ 29.09.2023	Litchi	21	200	4200.00
31	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	31/ 29.09.2023	Kiwi	22	275	6050.00
32				Anna	2	275	550.00
33				Dorsett Golden	2	275	550.00
34	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	32/ 29.09.2023	Billpatri	2	100	200.00
35				Shami	2	100	200.00

36

Secretary
Gram Panchayat Lahla

36	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	44/ 23.12.2023	Anna	10	275	2750.00
37				Dorsett Golden	10	275	2750.00
38				Persimon	5	275	1375.00
39				Kiwi	10	275	2750.00
40	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	45/ 23.12.2023	Cherry	10	250	2500.00
41				Almond	10	250	2500.00
42				Apricot	4	250	1000.00
43				Kathal	2	250	500.00
44	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	46/ 23.12.2023	Peach SEP	2	150	300.00
45				Pear Babugosha	5	150	750.00
46				Plum Santa Roza	3	150	450.00
47				Mango Deshari	3	150	450.00
48				Mango Amarpali	2	150	300.00
49				Lemon	5	150	750.00
50				Orange	5	150	750.00
51				Malta	5	150	750.00
52	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	47/ 23.12.2023	Walnut	5	500	2500.00
53	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	48/ 23.12.2023	Bilpatri	4	100	400.00
54	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	49/ 23.12.2023	Anna	15	275	4125.00
55				Dorsett Golden	5	275	1375.00
56				Persimon	8	275	2200.00
57				Kiwi	5	275	1375.00
58	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	50/ 23.12.2023	Lemon	11	150	1650.00
59				Orange	8	150	1200.00
60				Galgal	6	150	900.00
61				Mosambi	6	150	900.00
62				Babugosha	7	150	1050.00
63				Peach SEP	3	150	450.00
64				Malta	4	150	600.00
65				Mango Deshari	3	150	450.00
66				Mango Amparpalli	4	150	600.00
67	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	51/ 23.12.2023	Cherry	3	250	750.00
68				Kathal	1	250	250.00
69				Plum BA	3	250	750.00
70				Almond	4	250	1000.00
71				Apricot	2	250	500.00
72	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	52/ 23.12.2023	Walnut	2	500	1000.00
73	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	53/ 23.12.2023	Litchi	8	200	1600.00
74	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	60/ 24.01.2024	Lemon Kumkat	29	150	4350.00
75				Lemon Thai	25	150	3750.00
76				Galgal	20	150	3000.00
77				Kinoo	15	150	2250.00
78				Peach Shane-E-Pun	2	150	300.00
79				Peach July Alberta	2	150	300.00
80				Plum Santa Rosa	2	150	300.00
81				Pear Babugosha	2	150	300.00
82	नेवा प्लांटेशन एल.एल.पी.	Nil/ 29.02.2024	10/12.08.2022	OPORDZ	6	200	1200.00
						कुल जोड़	₹ 1,58,150.00

37

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लाहला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹1.32 लाख समायोजन हेतु शेष का विवरण

अनुदान शीर्ष : मनरेगा							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल० सं० (Proforma) / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि GST सहित
1	हि०प्र०सिवल सप्लाई धीरा	Nil/29.02.2024	2677048/ 25.09.2023	सीमेंट	90	₹ 383.00	₹ 34,470.00
2	हि०प्र०सिवल सप्लाई धीरा	Nil/29.02.2024	2677049/ 25.09.2023	सीमेंट	90	₹ 383.00	₹ 34,470.00
3	हि०प्र०सिवल सप्लाई धीरा	Nil/29.02.2024	2677050/ 25.09.2023	सीमेंट	75	₹ 383.00	₹ 28,725.00
4	हि०प्र०सिवल सप्लाई धीरा	Nil/29.02.2024	2677051/ 25.09.2023	सीमेंट	90	₹ 383.00	₹ 34,470.00
						कुल जोड़	₹ 1,32,135.00

J.D.

Secretary
Gram Panchayat Lahla
Block Bhawarna

(परिशिष्ट "अ" पैरा संख्या "3.5" में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत लाहला द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई राशि ₹19.56 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशी	कुल व्यय राशी
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा		
1	लैंटाना उन्मूलन एवं वृक्षारोपण गंगो देवी w/o विशन दास भूमि वार्ड नं - 1 2022-23(1304002085/DP/8000044004)	88000.00	68461.00
2	पौधारोपण शिवी देवी पत्नी रनिया राम भूमि वार्ड क्रमांक 5 2021-22(1304002085/IF/32278820)	100000.00	68443.00
3	वृक्षारोपण ईश्वर दास भूमि वार्ड नं.-1 2023-24(1304002085/DP/8000046460)	100000.00	90399.00
4	वृक्षारोपण लीला देवी भूमि वार्ड नं.-3 2023-24(1304002085/DP/8000046461)	96000.00	69670.00
5	निर्माण/ नवीकरण कूहल धरम चंद पुत्र पंजू राम की जमीन की ओर (w-4) (2021-22)(1304002085/IC/8000044001)	220000.00	204129.00
6	निर्माण/ नवीकरण निक्कू राम के घर से गुलवंश कुमार के घर की ओर कूहल का वार्ड नंबर -2 2022-23(1304002085/IC/8000048628)	214000.00	174871.00
7	निर्माण/ नवीकरण कूहल छंगा राम हाउस से गलू वार्ड नंबर-4 की ओर 2022-23(1304002085/IC/8000048630)	222000.00	193313.00
8	निर्माण/ नवीकरण कूहल मझोटू नाले से जगदीश चंद लैंड वार्ड नंबर-5 की ओर 2022-23(1304002085/IC/8000048631)	214000.00	168484.00
9	लैंटाना उन्मूलन एवं भूमि विकास वार्ड नं.-4 2022-23(1304002085/DP/8000046049)	100000.00	86741.00
10	वृक्षारोपण अविन्दर कुमार, जतिंदर कुमार भूमि वार्ड नं.-2 2023-24(1304002085/DP/8000046459)	100000.00	59707.00
11	निर्माण/ नवीकरण कूहल गगन हाउस के पास अमीन चंद, राजिंदर कुमार लैंड वार्ड नंबर-4 की ओर 2023-24(1304002085/IC/8000054116)	181000.00	50019.00
12	लैंटाना उन्मूलन एवं पौधरोपण कश्मीर सिंह भूमि वार्ड क्रमांक-1 2022-23(1304002085/IF/8000097422)	96000.00	65146.00
13	पौधरोपण राजेश कुमार भूमि वार्ड क्रमांक-3 2023-24(1304002085/IF/8000118625)	95000.00	81202.00
	अनुदान शीर्ष : SDP		
14	निर्माण जीप योग्य सड़क सुभाष चंद के गेट से मेन रोड दराटी की ओर	250000.00	250000.00
15	निर्माण जीप योग्य सड़क गोविंद चड्डा के घर से रूप लाल चड्डा के घर की ओर	225000.00	225000.00
	अनुदान शीर्ष : VKVNY		
16	निर्माण सराय नजदीक गुगा मढ़ी मंदिर लाहला	100000.00	100000.00
		कुल जोड़	1955585.00

J.A.

Secretary
Gram Panchayat Lahla
Bhawarna

(परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 9.1 " के संदर्भ में)

मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹1.67 लाख के मस्टर रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त हस्ताक्षरित अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	लैंटाना उन्मूलन एवं वृक्षारोपण गंगो देवी w/o विशन दास भूमि वार्ड नं . 1	1942	Nil/ 19.09.2022	₹ 18,879.00
2		1943	Nil/ 19.09.2022	₹ 9,541.00
3	पौधारोपण शिवी देवी पत्नी रनिया राम भूमि वार्ड क्रमांक 5	1792	Nil/ 03.09.2022	₹ 12,180.00
4	वृक्षारोपण ईश्वर दास भूमि वार्ड नं..1	4090	Nil/ 06.02.2024	₹ 12,508.00
5	वृक्षारोपण लीला देवी भूमि वार्ड नं..3	4091	Nil/ 06.02.2024	₹ 18,656.00
6		4092	Nil/ 06.02.2025	₹ 9,540.00
7	निर्माण/ नवीकरण कुहल धरम चंद पुत्र पंजू राम की जमीन की ओर	4428	Nil/ 22.02.2024	₹ 6,572.00
8	निर्माण/ नवीकरण निक्कू राम के घर से गुलवंश कुमार के घर की ओर कुहल का वार्ड नं.2	4429	Nil/ 22.02.2024	₹ 13,780.00
9		4430	Nil/ 22.02.2024	₹ 5,088.00
10	निर्माण/ नवीकरण कुहल छंगा राम हाउस से गलू वार्ड नंबर.4 की ओर	4431	Nil/ 22.02.2024	₹ 18,444.00
11		4432	Nil/ 22.02.2024	₹ 1,908.00
12	निर्माण/ नवीकरण कुहल मझोटू नाले से जगदीश चंद लैंड वार्ड नंबर.5 की ओर	4093	Nil/ 06.02.2024	₹ 19,716.00
13		4094	Nil/ 06.02.2024	₹ 5,300.00
14		4433	Nil/ 06.02.2024	₹ 14,840.00
	कुल योग			₹ 1,66,952.00

J.A.

Secretary
Gram Panchayat Lohalu
Block Bhoranj